

सेतु बंधन योजना: CRIF

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने **केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष** (Central Road and Infrastructure Fund- CRIF) के तहत **सेतु बंधन योजना** के अंतर्गत **अरुणाचल प्रदेश** में सात प्रमुख पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

- 118.50 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली ये परियोजनाएँ **वित्तीय वर्ष 2023-24** के दौरान कार्यान्वयन के लिये निर्धारित हैं।

केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (CRIF):

परिचय:

- केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (जिसने पहले **सेंट्रल रोड फंड** के नाम से जाना जाता था) की स्थापना वर्ष 2000 में **केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000** के तहत की गई थी।
- इस फंड में **पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क** के साथ लगाया गया उपकर शामिल है।
- CRIF वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है।
 - पहले यह **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** के अधीन था।

केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम (संशोधन), 2018:

- इस संशोधन के बाद **केंद्रीय सड़क कोष** का नाम बदलकर **केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष** (Central Road and Infrastructure Fund- CRIF) कर दिया गया है।
- इस संशोधन के बाद **जलमार्ग, रेलवे बुनियादी ढाँचे के कुछ हिस्से और शैक्षणिक संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों** आदि सहित सामाजिक बुनियादी ढाँचे व अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये **CRIF के तहत सड़क उपकर की आय का उपयोग करने की अनुमति** प्रदान की गई।

सेतु बंधन योजना:

- "सेतु बंधन योजना" सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य **राज्य की सड़कों पर रेल ओवर ब्रिज (ROBs), रेल अंडर ब्रिज (RUBs) और अन्य पुलों के निर्माण** कार्य को सुविधाजनक बनाना है।
- यह कार्यक्रम **मौजूदा क्रांसिग/समपारों के स्थान पर पुलों का निर्माण कर सड़क सुरक्षा में वृद्धि करने के लिये** डिज़ाइन किया गया है, जिससे अंततः इन स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी।